



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 15.01.2021

1-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा लोगों को हनी ट्रेप में फंसाकर रूपये ऐंठने वाले 2 महिलाओं सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार कर कब्जे से पीड़ित को छुड़ाया ,कब्जे से पीड़ित की कार, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 20 हजार रुपये नकद बरामद।

थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा हनी ट्रेप में फंसाकर रूपये ऐंठने वाले 2 महिलाओं सहित 07 अभियुक्त 1. मतीन पुत्र अफाक 2. वकील पुत्र सर्फराज 3. राशिद पुत्र हाजी यामीन 4. इमरान पुत्र कल्लू 5. असरफ पुत्र मौ0 इदरिश 6. रोशन पत्नी वकील 7. शबनम पत्नी सफीक को कब्रिस्तान के पास किराये के घर (मकान) मुरादनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बन्धक नसरत पुत्र अली हसन निवासी ग्राम ककराला थाना फेस 2 नोएडा को सकुशल बरामद कर पीड़ित का मोबाइल फोन ,गाड़ी टोयटा इनोवा नं0 UP16CP0531 एवं घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व पीड़ित से लिये गये नकद 20 हजार रुपये बरामद हुए।

घटना का विवरण-

दिनांक 14.01.2021 को वादी श्री मौ0 तोसीफ पुत्र स्व0 अली हसन निवासी ग्राम ककराला थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर ने थाना फेस 2 पर आकर सूचना दी कि कल दिनांक 13.01.2021 को उसके भाई नसरत के फोन पर कोई फोन आया था और उसे एफएनजी रोड पर बुलाया था। रात्रि में हमारे पास फोन से ज्ञात हुआ कि मेरे भाई नसरत को मुरादनगर गाजियाबाद में कुछ लोगों द्वारा बन्धक बना रखा है और उसके साथ मारपीट हो रही है तथा किसी महिला के साथ बलात्कार के झूठे मामले व विडियों को बताकर दो लाख रुपये की मांग की जा रही है। इस सूचना पर थाना पर मु0अ0सं0 22/21 धारा 342/323/389 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुरादनगर गाजियाबाद पहुँचकर पीड़ित को सकुशल बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. मतीन पुत्र अफाक निवासी मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।
2. वकील पुत्र सर्फराज निवासी ग्राम नहाल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।
3. राशिद पुत्र हाजी यामीन निवासी ग्राम नहाल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।
4. इमरान पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बसौद थाना जानी जिला मेरठ।
5. असरफ पुत्र मौ0 इदरिश निवासी ग्राम नहाल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।
6. रोशन पत्नी वकील निवासी नहाल थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद।
7. शबनम पत्नी सफीक निवासी गांव नहाल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0022/21 धारा 346/323/389/34 भादवि थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. पीड़ित की गाड़ी इनोवा नं0 UP16CP0531 व मोबाइल फोन ।
2. घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन ।
3. पीड़ित से अभियुक्तों द्वारा लिये गये 20 हजार रुपये नकद।

2-थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 395/20 धारा 420/406/467/468/471 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त 1. सुशांत सिंह उर्फ सुशान्त जालीदार पुत्र राज कुमार सिंह 2. सुनील कुमार पुत्र रामजी सिंह को थाना क्षेत्र के पुस्ता गोल चक्कर सेक्टर 168 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा वादी राघवेन्द्र सिंह के साथ धोखाधड़ी करके जमीन की दो बार रजिस्ट्री करके वादी से 57 लाख रूपये हड़प लिये गये थे। मुख्य अभियुक्त मुन्नाराम को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. सुशांत सिंह उर्फ सुशान्त जालीदार पुत्र राज कुमार सिंह निवासी 10ए पाकेट ए मयूर बिहार दिल्ली 110096 वर्तमान पता सी0 /189 सेक्टर 122 नोएडा।
2. सुनील कुमार पुत्र रामजी सिंह निवासी 1197 ए डीडीए फ्लैटस कोंडली घडोली दिल्ली वर्तमान पता फ्लैट 1102 /सीवी 5 सेक्टर 74 नोएडा।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 395/20 धारा 420/406/467/468/471 भादवि थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

- 3- थाना बीटा 2 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द पडे मकानो में रेकी कर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से किमती आभूषण समेत 42000 रूपये नकद बरामद।

दिनांक 14.01.2021 को थाना बीटा 2 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द पडे मकानो में रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्त 1. सोनू उर्फ अभिनव पाण्डेय पुत्र सुदामा चरण पाण्डेय 2. प्रवीण पाण्डेय पुत्र कालीचरण पाण्डेय 3. चन्दन शर्मा पुत्र केदार शर्मा 4. सूरज मोरे पुत्र रंगराब को चेकिंग के दौरान रामपुर गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से 06 सिक्के सफेद धातु के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति सफेद धातु की, 03 अंगूठी लेडीज पीली धातु की, 03 जोडी कान की बाली पीली धातु की, 04 जोडी पायल सफेद धातु की, 01 मंगल सूत्र पीली धातु का, हनुमान जी का लाकेट पीली धातु का, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु की, 02 नाक की नथनी पीली धातु की, 01 जोडी टॉप्स पीली धातु की व 42000 रूपये नकद बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. सोनू उर्फ अभिनव पाण्डेय पुत्र सुदामा चरण पाण्डेय निवासी ग्राम सहीदाबाद थाना बरनाहल जिला मैनपुरी वर्तमान पता राजीव शर्मा का मकान सुदेश नागर कालोनी थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. प्रवीण पाण्डेय पुत्र कालीचरण पाण्डेय निवासी डी 2 ब्लोक गली न0 3 न्यू राजीव कालोनी खसरा न0 627 भलस्वा डेरी थाना भलस्वा डेरी नई दिल्ली।
3. चन्दन शर्मा पुत्र केदार शर्मा निवासी ग्राम हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार वर्तमान पता ऐ 3 जे जे कालोनी थाना भलस्वा डेरी नई दिल्ली।

4. सूरज मोरे पुत्र रंगराब निवासी ग्राम अमरापुर थाना कडेगांव जिला सांगली महाराष्ट्र वर्तमान पता राजू पालीवाल का मकान अग्रवाल मार्किट पुराने थाने के पास बरनाहल थाना बरनाहल जिला मैनपुरी।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स0-755/2020 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0-581/2020 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0-717/2020 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0-737/2020 धारा 454/380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0स0-0008/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0स0-0013/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0स0-0012/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0स0-0019/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 06 सिक्के सफेद धातु के
2. लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति सफेद धातु की
3. 03 अंगूठी लेडीज पीली धातु की
4. 03 जोड़ी कान की बाली पीली धातु की
5. 04 जोड़ी पायल सफेद धातु की,
6. 01 मंगल सूत्र पीली धातु का
7. हनुमान जी का लाकेट पीली धातु का
8. 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु की
9. 02 नाक की नथनी पीली धातु की
10. 01 जोड़ी टॉप्स पीली धातु की
11. 42000 रूपये नकद

4-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा भाजपा नेता को धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.01.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा भाजपा नेता को फोन पर धमकी देने वाले अभियुक्त रामपाल पुत्र स्व0 रामरिख निवासी ग्राम सलारपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को चौकी क्षेत्र सेक्टर 144 ग्राम शहदरा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी नवीन भाटी को फोन पर धमकी दी गई थी जिस संबंध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

रामपाल पुत्र स्व0 रामरिख निवासी ग्राम सलारपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

एनसीआर न0 3/2021 धारा 504/507 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

5-थाना बीटा 2 पुलिस पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प कर्मियों से लूट करने वाला 01 बदमाश पुलिस

मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 1,75,000 रूपये, घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार, 01

पिस्टल 32 बोर मय कारतूस बरामद।

दिनांक 15/01/2021 को थाना बीटा पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प कर्मियों से लूट करने वाले 01 बदमाश आरव भाटी उर्फ योगी उर्फ योगेश्वर पुत्र रामशरण निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को पुलिस मुठभेड के दौरान थाना क्षेत्र के डाढा गोल चक्कर से 120 फुटा सर्विस रोड पर गोली लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 1,75,000 रूपये, घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार, 01 पिस्टल 32 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किए गए हैं।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 08/01/2021 को थाना बीटा-2 क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मियों की बाईक में सैन्ट्रो कार से टक्कर मारकर 02 लाख रूपये की लूट की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा 2 पर मु0अ0स0-0007/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण-

आरव भाटी उर्फ योगी उर्फ योगेश्वर पुत्र रामशरण निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 237/19 धारा 392 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

- 2.मु0अ0सं0 294/19 धारा 60,63,72 आब0 अधि0 थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 618/19 धारा 2/3 गैंगं0 अधि0 थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 7/21 धारा 392,411 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 26/21 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
- 6.मु0अ0सं0 158/19 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
- 7.मु0अ0सं0 495/19 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
- 8.मु0अ0सं0 1102/19 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
- 9.मु0अ0सं0 1109/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना मे प्रयुक्त सैन्ट्रो कार
2. 01 पिस्टल 32 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस
3. घटना से सम्बन्धित लूटे गये 1 लाख 75 हजार रु0

6-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर/लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध चाकू,01 पेचकस व 01 प्लास बरामद।

दिनांक 15.01.2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर चोर/लूटेरे 1. ऋषि दुबे पुत्र राजेन्द्र दुबे 2. अंकित राय पुत्र श्याम सुन्दर राय 3. सूरजप्रताप पुत्र राजकुमार को थाना क्षेत्र के कम्पनी के पास बी ब्लॉक सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध चाकू, 01 पेचकस व 01 प्लास बरामद किये गये है।

अभियुक्त देर रात्रि में रास्ते से आते जाते लोगो से लूटपाट करते है व मौका पाकर बन्द कम्पनी में घुसकर चोरी करते है।

अभियुक्तो का विवरण-

1. ऋषि दुबे पुत्र राजेन्द्र दुबे निवासी ग्राम भरभर पुर थाना इयाना जिला औरैया वर्तमान पता राहुल का मकान अनिल बिहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।

2. अंकित राय पुत्र श्याम सुन्दर राय निवासी ग्राम खेमापुर थाना अरौली जिला अम्बेडकर नगर वर्तमान पता कमल चौहान का मकान अनिल बिहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद।

3. सूरजप्रताप पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुगलपुर थाना बरनाहल जिला मैनपुरी वर्तमान पता चौधरी का मकान दीपक बिहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 59/21 धारा 398/401 भादवि बनाम ऋषि दुबे, अंकित राय, सूरजप्रताप थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 60/21 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम ऋषि दुबे थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0सं0 61/21 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अंकित राय थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

4. मु0अ0सं0 62/21 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम सूरज प्रताप थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 03 अवैध चाकू

2. 01 पेचकस

3. 01 प्लास

7- थाना दादरी पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड कर 03

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पटाखे बनाने में प्रयोग होने वाली 5 मशीने व अन्य उपकरण, 13

बोरे व 3 कार्टून पैक बने हुए पटाखे, भारी मात्रा में अधबने पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री, 5

ड्रम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल व 01 पिकअप गाड़ी व 01 स्कार्पियो गाड़ी बरामद।

थाना दादरी पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड कर 03 अभियुक्त 1. जयभगवान पुत्र विक्रम रावल 2. महेंद्र पुत्र बृजपाल 3. रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण को थाना क्षेत्र के ग्राम मथुरापुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पटाखे बनाने में प्रयोग होने वाली 5 मशीने व अन्य उपकरण, 13 बोरे व 3 कार्टून पैक बने हुए पटाखे, भारी मात्रा में अधबने पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री, 5 ड्रम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 01 पिकअप गाड़ी व 01 स्कार्पियो गाड़ी बरामद हुए हैं। अभियुक्त अवैध रूप से पटाखे तैयार कर दिल्ली व आस पास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे।

अभियुक्तों का विवरण-

1. जयभगवान पुत्र विक्रम रावल निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. महेंद्र पुत्र बृजपाल निवासी कासना थाना कासना गौतमबुद्धनगर।
3. रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम मोढ़ा पुख्ता थाना दातागंज बदायूं।

बरामदगी का विवरण-

1. पटाखे बनाने में प्रयोग होने वाली 5 मशीने व अन्य उपकरण
2. 13 बोरे व 3 कार्टून पैक बने हुए पटाखे
3. भारी मात्रा में अधबने पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री
4. 5 ड्रम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल
5. 01 पिकअप गाड़ी
6. 01 स्कार्पियो गाड़ी बरामद

8- थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 लैपटाप बरामद।

दिनांक 14.01.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर चोर लवलेश कुमार उर्फ बिराज पुत्र सन्दीप कुमार निवासी गाँव खिजरपुर थाना सिकन्दरा राऊ जिला हाथरस वर्तमान पता मस्जिद के पास सोम बाजार खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद को सेक्टर 62 गोल चक्कर के पास सरकारी शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 चोरी के लैपटाप बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरण-

लवलेश कुमार उर्फ बिराज पुत्र सन्दीप कुमार निवासी गाँव खिजरपुर थाना सिकन्दरा राऊ जिला हाथरस वर्तमान पता मस्जिद के पास सोम बाजार खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 53/21 धारा 380/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. लैपटाप DELL कम्पनी सीरियल नं0 38 732090546 रंग काला
2. लैपटाप HP कम्पनी सीरियल नं0 920188621356 सम्बन्धित मु0अ0सं0 53/2021 धारा 380/411
भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर